08–05–2026

पुकार कराई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त विनोद उर्फ रोहित डोम व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त विनोद राम उर्फ रोहित डोम फरार चल रहा है। आज सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आदेश पत्र पर यह सूचित किया गया था कि अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है, अतः अभियोजन पक्ष का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्त विनोद उर्फ रोहित डोम के विरूद्ध स्थाई गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाय और उसके विरूद्ध स्थाई गैर जमानतीय वारण्ट जारी करके उसे पुलिस अधीक्षक चन्दौली को प्रेषित किया जाय। इस पत्रावली को न्यायालय की अनुमति के बिना बीड आउट न किया जाय और इसका अंकन भी लाल स्याही से पत्रावली पर उल्लिखित किया जाय। पत्रावली बाद आवश्यक तकमीलात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.05.09 13:21:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court